

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Faridabad Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

13/03/2023 17:40 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन):

Date from (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 13/03/2023 Time (समय): 17:21 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 011 Date and Time (दिनांक और समय): 13/03/2023 17:21 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH, 0.5 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): बलवीर सिंह

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री केहर सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1948

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव फतेहपुर बिलोच, त0 बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, BALLABHGARH SADAR, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव फतेहपुर बिलोच, त0 बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, BALLABHGARH SADAR, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रवि मीटर रीडर			1. छायासा जिला फरीदाबाद, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	COIN AND CURRENCY	INDIAN RUPEE		4,000.00

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)): 4,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद श्रीमान जी ,मैं बलवीर सिंह पुत्र स्व० श्री केहर सिंह गांव फतेहपुर बिलोच,तहसील बल्लभगढ़ ,जिला फरीदाबाद का रहने वाला हूँ । और गांव में ही कपडे प्रेस करने की व चाय की दुकान चलाता हूँ । गांव में मेरे घर पर दिनांक 02.11.2022 को बिजली बोर्ड छायासा से रवि मीटर रीडर व उसके साथ लाला बिजली कर्मचारी आये थे । और रवि कहने लगा कि तुम्हने मीटर के साथ छेड़खानी की है । तुम्हारा बिजली चोरी का केस बनेगा । और लाखों रुपये जुर्माना लगेगा इस मीटर को लैब में चैक करवाना है । यह कह कर रवि ने मेरा मीटर उतार लिया और मेरे मीटर की जगह पुराना मीटर लगा दिया । मैं घबरागया ,तो रवि ने कहा कि बिजली चोरी के केस से बचना है तो 20 हजार रुपये दे दो ,मैंने उनको कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं । मेरे पास उस समय अपने घर के खर्च के लिए 11 हजार रुपये रखे हुये थे ,जो रवि ने मेरे से 11 हजार रुपये ले लिये और कहा कि 5 हजार रुपये इन्तजाम और कर लेना तुम्हारा बिजली चोरी का केस नहीं बनने दुगां । उसके बाद मेरे पास रवि पैसों के लिए कोई फोन नहीं आया ,जिसके कारण मैंने भी रवि से कोई बातचीत नहीं की आज से करीब 5-6 दिन पहले रवि अचानक मेरी दुकान पर आया । और कहने लगा कि तुम्हारा काम मैंने कर दिया है । अब आप पर कोई बिजली का केस नहीं बनेगा, बकाया 5 हजार का दे दो मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं ,मैं दो-तीन दिन में इंजताम करके दे दुगा । इसके बाद दिनांक 11.03.2023 को मैंने अपने फोन नम्बर 9873076773. से रवि मीटर रीडर के मोबाईल न० 7015706959. पर फोन किया तो रवि ने मुझसे 5 हजार रु० की मांग कि तो मेरी विनती करने पर उसने कहा कि 11 हजार रुपये आ गये हैं । और आप 4 हजार रुपये और दे देना । जिसकी मैंने रिकार्डिंग कर ली, जिसको मैं बाद में आपको पैन ड्राईव में डालकर पेश कर दुगां । आज रवि मीटर रीडर मेरे पास 4 हजार रुपये रिश्त लेने के लिए आ रहा है । मैं उसको रिश्त के 4 हजार रुपये नहीं देना चाहता कृप्या करके रवि के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये । मेरे रवि से कोई रंजिश नहीं है । और ना ही कोई पैसों का लेन देन है मैं अनपढ़ आदमी हूँ । केवल अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना जानता हूँ तथा अपनी शिकायत टाईप करवाकर लाया हूँ । sd. BALBIR बलवीर सिंह पुत्र स्व० श्री केहर सिंह निवासी गांव फतेहपुर बिलोच तहसील बल्लभगढ़ फरीदाबाद । कार्यवाही पुलिस :- आज मन निरीक्षक थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो समूहदायक भवन गांव मिर्जापुर sec-74 फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद में हाजिर हूँ । कि शिकायत कर्ता श्री बलवीर सिंह पुत्र स्व० श्री केहर सिंह निवासी गांव फतेहपुर बिलोच तहसील बल्लभगढ़ फरीदाबाद ने हाजिर थाना आकर मेरे सम्मुख एक टाईप शुदा शिकायत कर्ता जिस पर शिकायत कर्ता के अंग्रेजी में हस्ताक्षर है रवि मीटर रीडर बिजली बोर्ड छायासा द्वारा मीटर के साथ छेड़खानी के बदले में रिश्त के मांगे करने व रिश्त की राशी लेने बारे पेश की । मेरे द्वारा शिकायत का अध्ययन करने पर शिकायत के विषय से अपराध जेर धारा 7 PC ACT का घटित होना पाये जाने पर लेख लिखकर अभियोग पंजकृत करने के मोहूरर थाना के हवाले की व मुकदमा नम्बर से सूचित करने व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भेजने बारे निर्देश दिया गया अब मैं व शिकायत कर्ता बलवीर सिंह उपरोक्त को साथ लेकर पुलिस अधीक्षक मोहदय के सम्मुख पेश होकर शिकायत कर्ता का परिचय करवाकर हालात से अवगत करवाया गया व राजपत्रित अधिकारी तथा छाया गवाह नियुक्त बारे कार्यालय आदेश प्राप्त किया अब मैं EASI विरेन्द्र न० 1823 DVR ,HC बृजपाल न० 438/पलवल,EHC सोनू न० 686/फरीदाबाद मय गाडी सरकारी नम्बर HR-03 -GV-3618 मय शिकायतकर्ता श्री बलवीर सिंह मय प्राईवेट गाडी के कार्यालय राजपत्रित अधिकारी सिचाई विभाग sec-16A फरीदाबाद का रवाना होता हूँ । लैपटाप अनुशंधान बैग इत्यादि साथ लिये गये हैं । अज:- थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद SD. SHORANLAL निरीक्षक थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद दिनांक 13.03.2023 At. 3.50 PM अज थाना - हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा नम्बर- 04 दिनांक 13.03.2023 U/S 7 PC ACT PS SVB फरीदाबाद दर्ज रजि० किया जाकर FIR की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार कमप्युटराईज द्वारा तैयार करके बदस्त स्पेशल HC चरणजीत न० 387/मेवात के की जाकर सम्बन्धित अफसरान बाला वा ईलाका मैजिस्ट्रेट की सेवा में भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा HC के की जाकर निज्द INSP सोरन लाल बर मौका भेजी जा रही है । नोट:- यह मुकदमा INSP राकेश की हाजरी में दर्ज किया गया । CCTNS में तकनीकी खराबी होने के कारण समय का मिलान नहीं हो सका ।

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SHORAN Rank (पद): I (Inspector)
LAL
No. (सं.): 113GGN to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Abhishek Jorwal
Rank (पद): SP (Superintendent of Police)
No. (सं.): IPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

